सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2020 / 00029 दर्ज तिथिः–10.01.2020

1. सुजानाराम पुत्र पूनमाराम
2. झमकूदेवी पत्नी पूनमाराम
   जाति विश्नोई निवासी देशान्तरी नाडी तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर

.................वादी

बनाम

1. हेमाराम पुत्र सदराम
2. अशोककुमार पुत्र सदराम
3. राधा पुत्र सदराम
4. कौशल्या पुत्री सदराम
5. पिन्टु पुत्री सदराम
   (प्रतिवादी संख्या 2 व 5 नाबालिक वलिये माता पूनमीदेवी पत्नी सदराम प्रतिवादी संख्या 6)
6. पूनमीदेवी पत्नी सदराम
7. लाधू पुत्र मोबता
8. भाखरा पुत्र मोबता
9. हरीराम पुत्र मोबता
10. रूगनाथ पुत्र मोबता
11. मांगीलाल पुत्र भैराराम
12. पवनकुमार पुत्र भैराराम
13. भाणी पत्नी भराराम
14. मला पुत्र कोजा
15. लाधू पुत्र कोजा
16. बाबू पुत्र कोजा
17. शंकरा पुत्र कोजा
18. माडू पत्नी कोजा
19. लाधूराम पुत्र भीयाराम
20. नेनाराम पुत्र भीयाराम
21. श्रवणकुमार पुत्र भीयाराम
22. पुनीदेवी पत्नी भीयाराम
23. रमेश पुत्र शंकरराम
24. उदा पुत्र शंकरराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:48:02 IST
Reason: SelfAttested

25. मुकेश पुत्र शंकरराम
26. ओमा पुत्र शंकरराम
27. भजना पुत्र शंकरराम
(प्रतिवादी संख्या 23 से 27 नाबालिक वलिये माता जमना पत्नी शंकरराम प्रतिवादी संख्या 28)
28. जमना पत्नी शंकरराम
जाति विश्नोई निवासी देशान्तरी नाडी तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर

.................असल प्रतिवादीगण

29. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. गुढामालानी
30. तहसीलदार गुढामालानी

..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः— श्री रामजीवन विश्नोई।
प्रतिवादीगणः— श्री बाबूलाल विश्नोई।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 12.08.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 286/13.8079 है0, 297/0.0728 है0, 298/52.3096 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 66.1903 हैक्टेयर वाकै जम्भेश्वर नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:48:02 IST
Reason: SelfAttested

वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन–वकालतन उपस्थित हुए। वादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा लिखित राजीनामा पेश कर माफिक हक हिस्सा भूमि की गुडवत्ता एवं आवागमन की सुविधा एवं वर्तमान कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुढामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 1645 दिनांक 08.07.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई।

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073–2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 286 / 13.8079 है0, 297 / 0.0728 है0, 298 / 52.3096 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 66.1903 हैक्टेयर वाकै जम्भेश्वर नगर तहसील गुडामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:48:02 IST
Reason: SelfAttested

सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जाः— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह—काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय— सुविधा का सन्तुलनः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय— अपूरणीय क्षतिः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:48:02 IST
Reason: SelfAttested

घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 286/13.8079 है0, 297/0.0728 है0, 298/52.3096 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 66.1903 हैक्टेयर वाकै जम्भेश्वर नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
हेमाराम, अशोक, कौशल्या, राधा,	1/6	286	6.9040	बा.सो.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:48:02 IST
Reason: SelfAttested

पिन्टु पि. सदराम पूनमीदेवी पत्नी सदराम		298 298	7.1386 2.1853	बा.सो. बा.सो.
लाधू, भाखरा, हरीराम, रूगनाथ पि. मोबता	4／6			
मांगीलाल, पवनकुमार पि. भैराराम भाणी पत्नी भैराराम कौम विश्नोई सा. देह खातेदार	1／6			
किता 03 रकबा 16.2279 हैक्टेयर				
मला, लाधू, बाबू, शंकरा पि. कोजा *रहन SBBJ शाखा गुढामालानी मला का हिस्सा*	4／5	286 298 298 298	3.4479 6.4750 3.8769 2.4281	बा.सो. बा.सो बा.सो बा.सो.
माडू पत्नी कोजा कौम विश्नोई सा. देह खातेदार	1／5			
किता 04 रकबा 16.2279 हैक्टेयर				
लाधूराम, नेनाराम, श्रवणकुमार पि. भीयाराम पूनीदेवी पत्नी भीयाराम	4／5	286 297 298 298	3.4560 0.0728 11.0479 1.6511	बा.सो. गे.मु. बा.सो. बा.सो.
उदा, ओमा, भजना, मुकेश, रमेश पि. शंकरराम, जमना पत्नी शंकरराम कौम विश्नोई सा.देह खातेदार *रहन SBI शाखा गुढामालानी हिस्सा रमेश, जमना*	1／5			
किता 04 रकबा 16.2278 हैक्टेयर				
सुजानाराम पुत्र पूनमाराम *रहन SBBJ शाखा गुढामालानी सुजानाराम का हिस्सा*	1／2	298 298	11.3312 4.8158	बा.सो. बा.सो.
झमकूदेवी पत्नी पूनमाराम कौम विश्नोई सा. देह खातेदार	1／2			
किता 02 रकबा 16.1470 हैक्टेयर				

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:48:02 IST
Reason: SelfAttested

शंकराराम पुत्र कोजा	1/4	298	0.0647	बा.सो.
सुजानाराम पुत्र पूनमाराम	1/4	298	0.4856	बा.सो
लाधूराम पुत्र भीमा	1/4	298	0.1619	बा.सो
रूगनाथ पुत्र मोबता कौम विश्नोई सा. देह खातेदार	1/4	298	0.6475	बा.सो.
किता 04 रकबा 1.3597 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता की आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:48:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:48:02 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2020/00029 दर्ज तिथिः–10.01.2020

1. सुजानाराम पुत्र पूनमाराम
2. झमकूदेवी पत्नी पूनमाराम

जाति विश्नोई निवासी देशान्तरी नाडी तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर

.................वादी

बनाम

1. हेमाराम पुत्र सदराम
2. अशोककुमार पुत्र सदराम
3. राधा पुत्र सदराम
4. कौशल्या पुत्री सदराम
5. पिन्टु पुत्री सदराम

(प्रतिवादी संख्या 2 व 5 नाबालिक वलिये माता पूनमीदेवी पत्नी सदराम प्रतिवादी संख्या 6)

6. पूनमीदेवी पत्नी सदराम
7. लाधू पुत्र मोबता
8. भाखरा पुत्र मोबता
9. हरीराम पुत्र मोबता
10. रूगनाथ पुत्र मोबता
11. मांगीलाल पुत्र भैराराम
12. पवनकुमार पुत्र भैराराम
13. भाणी पत्नी भराराम
14. मला पुत्र कोजा
15. लाधू पुत्र कोजा
16. बाबू पुत्र कोजा
17. शंकरा पुत्र कोजा
18. माडू पत्नी कोजा
19. लाधूराम पुत्र भीयाराम
20. नेनाराम पुत्र भीयाराम
21. श्रवणकुमार पुत्र भीयाराम
22. पुनीदेवी पत्नी भीयाराम
23. रमेश पुत्र शंकरराराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:48:02 IST
Reason: SelfAttested

24. उदा पुत्र शंकरराराम
25. मुकेश पुत्र शंकरराराम
26. ओमा पुत्र शंकरराराम
27. भजना पुत्र शंकरराराम
(प्रतिवादी संख्या 23 से 27 नाबालिक वलिये माता जमना पत्नी शंकरराराम प्रतिवादी संख्या 28)
28. जमना पत्नी शंकरराराम
जाति विश्नोई निवासी देशान्तरी नाडी तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर

.................असल प्रतिवादीगण

29. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. गुढामालानी
30. तहसीलदार गुढामालानी

..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः— श्री रामजीवन विश्नोई।
प्रतिवादीगणः— श्री बाबूलाल विश्नोई।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

निर्णय तिथिः— 12.08.2024

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 286/13.8079 है0, 297/0.0728 है0, 298/52.3096 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 66.1903 हैक्टेयर वाकै जम्भेश्वर नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:48:02 IST
Reason: SelfAttested

किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
हेमाराम, अशोक, कौशल्या, राधा, पिन्टु पि. सदराम पूनमीदेवी पत्नी सदराम	1/6	286 298 298	6.9040 7.1386 2.1853	बा.सो. बा.सो. बा.सो.
लाधू, भाखरा, हरीराम, रूगनाथ पि. मोबता	4/6			
मांगीलाल, पवनकुमार पि. भैराराम भाणी पत्नी भैराराम कौम विश्नोई सा. देह खातेदार	1/6			
किता 03 रकबा 16.2279 हैक्टेयर				
मला, लाधू, बाबू, शंकरा पि. कोजा *रहन SBBJ शाखा गुढामालानी मला का हिस्सा*	4/5	286 298 298 298	3.4479 6.4750 3.8769 2.4281	बा.सो. बा.सो बा.सो बा.सो.
माडू पत्नी कोजा कौम विश्नोई सा. देह खातेदार	1/5			
किता 04 रकबा 16.2279 हैक्टेयर				
लाधूराम, नेनाराम, श्रवणकुमार पि. भीयाराम पूनीदेवी पत्नी भीयाराम	4/5	286 297 298 298	3.4560 0.0728 11.0479 1.6511	बा.सो. गे.मु. बा.सो. बा.सो.
उदा, ओमा, भजना, मुकेश, रमेश पि. शंकराराम, जमना पत्नी शंकराराम कौम विश्नोई सा.देह खातेदार *रहन SBI शाखा गुढामालानी हिस्सा रमेश, जमना*	1/5			
किता 04 रकबा 16.2278 हैक्टेयर				
सुजानाराम पुत्र पूनमाराम *रहन SBBJ*	1/2	298	11.3312	बा.सो.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:48:02 IST
Reason: SelfAttested

शाखा गुढामालानी सुजानाराम का हिस्सा		298	4.8158	बा.सो.
झमकूदेवी पत्नी पूनमाराम कौम विश्नोई सा. देह खातेदार	1/2			
किता 02 रकबा 16.1470 हैक्टेयर				
शंकराराम पुत्र कोजा	1/4	298	0.0647	बा.सो.
सुजानाराम पुत्र पूनमाराम	1/4	298	0.4856	बा.सो
लाधूराम पुत्र भीमा	1/4	298	0.1619	बा.सो
रूगनाथ पुत्र मोबता कौम विश्नोई सा. देह खातेदार	1/4	298	0.6475	बा.सो.
किता 04 रकबा 1.3597 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता की आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। खर्चा अपना—अपना वहन करेगें। अहकाम जारी हो।

यह डिक्री आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:48:02 IST
Reason: SelfAttested